(180)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3762—तीन/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 04—08—2014 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हनुमना जिला रीवा के प्रकरण कमांक 46/अ—27/2010—11.

.....

त्रिभुवन सिंह गोड तनय श्री समयलाल सिंह गोड
निवासी रघुनाथगढ़ तहसील हनुमना
जिला रीवा म0प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

रामलखन सिंह गोड़ तनय लहुरमन सिंह
निवासी रघुनाथगढ़ तहसील हनुमना
जिला रीवा म0प्र0

—— अनावेदक

.....

श्री उपेन्द्र पाण्डेय अभिभाषक, आवेदक
पूर्व से एक पक्षीय है, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 22/9/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हनुमना जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04—08—2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम रघुनाथगढ की भूमि खसरा कमांक 187/2क, 187/2ख, 187/2ग भूमियां स्व0 समय लाल के पटटे व कब्जे की भूमियां थी। समय लाल आवेदक के पिता व अनावेदक के पिता हैं। समय लाल अपने जीवन काल में विभाजन कर

आवेदक व अनावेदक को भूमियां दे दिये थे अनावेदक द्वारा माननीय व्यावहार न्यायालय मऊगंज में 1/2 स्वत्व घोषणा का वाद दायरकिया जो खारिज हो गया। जिसकी अपील माननीय अपर जिला न्यायाधीश मऊगंज के न्यायालय में प्रस्तुत किया माननीय अपरजिला न्यायाधीश द्वारा व्यावहारन्यायालय का आदेश निरस्त करते हुये अनावेदक का हिस्सा 1/2 का स्वत्व घोषित किया गया। जिसकी अपील आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई तथा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन है। अनावेदक द्वारा माननीय अपर जिला न्यायाधीश के डिग्री मुताबिक नामांतरण आदेश पारित करा लिया जिसकी जानकारी आवेदक को नहीं हुई जिससे उक्त आदेश से परिवेदति होकर अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसमें उनके द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा में प्रकरण स्थगित किया गया इसी से परिपेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने । उनके द्वारा अपने तर्क में वही तथ्या दोहराये गये है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेंख किया गया है। आवेदक के अधिवक्ता के विचारोपरांत एवं प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन करने पर पाता हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो अपने आदेश में उल्लेख माननीय उच्च न्यायालय का विवरण दिया गया है वह उचित है। जब तक माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण का निराकरण नहीं हो जाता तब तक राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित आदेश करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। अनुविभागीय अधिकारी तहसील हनुमना जिला रीवा के प्रकरण कमांक 46/अ–27/2010–11 में पारित आदेश उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर